

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
चालानी वाद संख्या- 5568/ 2022
राज्य
बनाम
पप्पी

धारा- 34 भा.द.स.
थाना- कोतवाली

दिनांक:- 11-11-2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी पप्पी s/o साहबुद्दीन की ओर से आपराधिक वाद संख्या-12856/2022, धारा- 34 भा.द.स. थाना- कोतवाली, जिला मैनपुरी के प्रकरण में स्वेच्छया जुर्म किया गया।

सुना तथा अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त पप्पी s/o साहबुद्दीन को स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा-34 भा.द.स. में मुवलिग- 10/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे उक्त अपराध में तीन दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(भूले राम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मैनपुरी।